बिहार सरकार
शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।
अधिसूचना

संचिका संख्या : 11/नियोजन 02–01/2019 (अंश) 1838/ पटना, दिनांक 15-9-2022

विभागीय अधिसूचना संख्या–817 दिनांक–25.04.2022, 1198 दिनांक–09.06.2022 एवं 1599 दिनांक–28.07.2022 के द्वारा माध्यमिक एवं उच्चत्तर माध्यमिक शिक्षक के नियुक्ति के छठे चरण के लिए नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अपेक्षित गतिविधि निर्धारित की गई थी।

2. उक्त विभागीय अधिसूचनाओं के परिप्रेक्ष्य में नियोजन की कार्रवाई पूर्ण होने के संबंध में जिलों से सूचना प्राप्त की गई। इसके आधार पर जिला परिषद् पटना, एवं जिला परिषद् सारण नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन की कार्रवाई प्रारंभ की गई, परन्तु प्रथम समव्यवहार का नियोजन पूर्ण नहीं की जा सकी।

3. जिला परिषद् पटना एवं जिला परिषद् सारण नियोजन इकाईयों द्वारा नियोजन की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु नियोजन की गतिविधि निम्नवत् पूनर्निर्धारित की जाती है:–

(क) जिला परिषद पटना

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
01	विभागीय अधिसूचना संख्या–1228 दिनांक–29.07.2021 के आलोक में आवेदन पत्र प्राप्ति की अवधि	19.09.2022 से 29.09.2022 तक
02	औपबंधिक मेधा सूची की तैयारी	30.09.2022 से 10.10.2022 तक
03	औपबंधिक मेधा सूची का नियोजन समिति द्वारा अनुमोदन	12.10.2022 तक
04	औपबंधिक मेधा सूची का प्रकाशन	13.10.2022 तक
05	औपबंधिक मेधा सूची पर आपत्ति	14.10.2022 से 29.10.2022 तक
06	आपत्तियों का निराकरण	02.11.2022 तक
07	आपत्तियों का निराकरण कर मेधा सूची का प्रकाशन	04.11.2022
08	जिला परिषद् के लिए मेधा सूची में सम्मिलित सभी अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र का मिलान/जॉच	07.11.2022
09	उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान/जॉच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद के द्वारा अनुमोदन	11.11.2022 तक
10	नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनीकरण, विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के NIC के वेबसाईट पर प्रकाशन	14.11.2022 तक
11	जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु काउंसिलिंग	18.11.2022
12	चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर अनुसूची–2 के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत करना।	21.11.2022

(ख) जिला परिषद् सारण

क्रमांक	नियोजन संबंधित गतिविधि	तिथि
1	उपस्थित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान/जॉच के आधार पर तैयार अंतिम मेधा सूची का जिला परिषद के द्वारा अनुमोदन	19.09.2022 तक
2	नियोजन इकाई द्वारा अंतिम मेधा सूची का सार्वजनीकरण, विद्यालयवार एवं विषयवार रिक्ति का जिला के NIC के वेबसाईट पर प्रकाशन	21.09.2022 तक
3	जिला परिषद नियोजन इकाई द्वारा अनुमोदित अंतिम मेधा सूची से रोस्टर बिन्दु के अनुसार अभ्यर्थियों के चयन हेतु काउंसिलिंग	26.09.2022
4	चयनित अभ्यर्थियों से सहमति पत्र प्राप्त कर अनुसूची–2 के अनुसार नियोजन पत्र निर्गत करना।	28.09.2022

4. पूर्व में सम्पन्न नियोजन संबंधी गतिविधि की पुनरावृत्ति की आावश्यकता नहीं होगी। अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्र के मिलान, काउंसिलिंग एवं नियोजन पत्र वितरण संबंधित गतिविधियों का विडियोग्राफी एवं अभ्यर्थियों की उपस्थिति से संबंधित पंजी का संधारण करना आवश्यक होगा। जिन नियोजन इकाई द्वारा अधिसूचना संख्या–1198 दिनांक–09.06.2022 एवं 1599 दिनांक–28.07.2022 के आलोक में निर्धारित समय तालिका अंतर्गत कार्रवाई पूर्ण कर ली गई है, उन्हें इस कार्यक्रम के अनुसार गतिविधि में सम्मिलित होने की आवश्यकता नहीं है।

5. अभ्यर्थियों के चयन हेतु निर्धारित काउंसिलिंग तिथि को अभ्यर्थीगण 10.00 पूर्वाह्न से 3.00 बजे अपराह्न तक उपस्थित होकर काउंसिलिंग कराऐंगे। उपस्थित अभ्यर्थियों का विषयवार मेधा क्रमानुसार अनुमोदित आरक्षण रोस्टर बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में अंतिम रूप से चयन सूची का निर्माण किया जायेगा। चयन के उपरांत चयनित अभ्यर्थियों से सहमति प्राप्त कर उनका मूल STET प्रमाण पत्र रख लिया जायेगा। काउंसिलिंग में अनुपस्थित अभ्यर्थियों का दावा समाप्त समझा जायेगा।

6. इस संबंध में पूर्व में निर्गत अधिसूचना संख्या–1142 दिनांक–01.07.2019, 1228 दिनांक–29.07.2021, 2157 दिनांक–24.12.2021, 817 दिनांक–25.04.2022, 1198 दिनांक–09.06.2022, 1599 दिनांक–28.07.2022 एवं अन्य के अन्तर्गत नियुक्ति की कार्रवाई से निर्गत निदेशों को इस हद तक संशोधित माना जाय। शेष यथावत् रहेगें।

7. नियोजन से संबंधित उपर्युक्त कार्यक्रम में विभाग के पूर्वानुमति के बिना परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। यदि किसी बिन्दु पर मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो निर्धारित गतिविधि के पूर्व हाथों हाथ प्राप्त कर लिया जाय। मार्गदर्शन संबंधी पत्र भेजकर नियुक्ति की प्रक्रिया को स्थगित करना अवांछनीय होगा। साथ ही विभाग के पूर्वानुमति के बिना निर्धारित समय तालिका से हटकर किसी नियोजन इकाई द्वारा शिक्षकों का नियुक्ति किया जाता है तो ऐसे नियोजन को विभाग द्वारा मान्यता नहीं दी जायेगी और तद्नुरूप अनुवर्ती कार्रवाई की जायेगी।

उक्त पर माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

राज्यपाल के आदेश से

(मनोज कुमार)
विशेष सचिव–सह–
निदेशक (मा0शि0)।

D/backup file desktop 2019/Officeorder.doc

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 अंश 1838 .... पटना, दिनांक 15-9-2020

प्रतिलिपिः (1) सभी नियोजन ईकाई के अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(2) सभी जिला पदाधिकारी, क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक, जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) को सूचनार्थ प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–
निदेशक (मा0शि0)।

ज्ञापांक : 11/नियोजन 02–01/2019 अंश 1838 पटना, दिनांक 15-9-2020

प्रतिलिपिः (1) निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)/निदेशक (प्राथमिक शिक्षा)/राज्य परियोजना निदेशक, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद्, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव एवं माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव/संबंधित उप सचिव, शिक्षा विभाग/प्रशाखा–18 को सूचनार्थ प्रेषित।

(2) आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग, को सूचनार्थ प्रेषित करते हुए कहना है कि विभागीय वेबसाईट पर इसे अपलोड कर दिया जाय।

विशेष सचिव–सह–
निदेशक (मा0शि0)।

D/backup file desktop 2019/Officeorder.doc